न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
68 / 2019	06 / 11 / 2019	21 / 12 / 2025

1. पुरुषोत्तम पुत्र सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. राजेन्द्र पुत्र सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. नवलकिशोर पुत्र सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादीगण

बनाम

1. सुरजमल पुत्र श्री जीवनलाल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. गायत्री पुत्री सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मुकाम निमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
3. सावित्री पुत्री सुरजमल उम्र जाति मीना निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मालबम्बोरी तहसील मॉगरोल जिला बारां राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारायण मीणा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री लेखराज प्रजापति एड0।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता सुरलमल पुत्र श्री जीवनलाल उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०में जमाबन्दी ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार ख०न० 430 रकबा 0.08 है०, ख0न0 514 रकबा 2.52 है०. कुल किता 2 का रकबा 252 है० स्थित है। यह कि सुरजमल पुत्र श्री जीवनलाल उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०के हिस्से में स्थित कृषि आराजी पेतृक रूप से खाते में चली आ रही है। वाद में वर्णित कृषि आराजी में से किसी भी खसरा नम्बर कि आराजी स्वअर्जित नहीं है बल्कि वाद में वर्णित कृर्षि आराजी से ही होने वाले लाभ से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के परिवार का जीवन यापन होता है जिसको वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ने आपस में प्रतिवादी कम 1 के खाते एवं हिस्से कि आराजी का बाहमी बटवारा करके वादीगण को जमाबन्दी ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार ख०न० 430 रकबा 0.08 है०. ख०न० 514 रकबा 2.52 है०. कुल किता 2 का रकबा 252 है0 कि आराजी में से वादीगण को बराबर–बराबर बहामी बटवारा किया हुआ है एवं प्रतिवादी कम 1 के पास भी वादीगण के बराबर का हिस्सा बहामी रूप से लिया एवं दिया हुआ है तथा अपने हिस्से को अपने पास रखकर अपना भरण–पोषण करते हुऐ आ रहे है तथा इस अनुरूप ही हम वादीगण एवं

प्रतिवादी कम 1 कृषि कार्य करते हुए आ रहे है। वादीगण को उक्त अपने अपने हिस्से कि आराजी में कर्ता पिलाई जमा करने क्रय विक्रय सहकारी समिति से एक खातेदार कि हैसियत से लाभ प्राप्त करने कॉपरेटिव सोसायटी से या बैंक से लॉन लेने आदी में कई सारी समस्याओं का सामना करना पडता है। उक्त आराजी एक संयुक्त हिन्दु परिवार कि कॉपार्सनरी सम्पत्ति है जो पैतृक रूप से कर्ता के नाम खातेदारी में दर्ज है लेकिन परिवार के सभी सदस्य वयस्क होने व कार–बार अलग अलग कर परिवार का भरण पोषण करने कि जिम्मेदारीया होने से उसका पूर्ण स्वामित्व एक व्यक्ति के पास नही माना जा सकता सम्पत्ति का स्वत्व परिवार के सभी सदस्यो अर्थात पिता, पुत्र, और पुत्र में जन्म से हित निहित हो जाता है। तो ऐसे अविभक्त परिवार कि पूरी सम्पदा को उसका प्रत्येक सदस्य अपने अपने अंश (नोशनल शेयर) के बराबर का हिस्सा बंटवारा मे प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज कृषि आराजी जो वाद में वर्णित है प्रतिवादी कम 1 को पेतुक रूप से प्राप्त हुई है। जो वंशानुगत चली आ रही है जिसका एक मात्र खातेदार प्रतिवादी कम 1 है जिसको अपने पुत्र वादीगण व प्रतिवादी कम 1 मे सम्पूर्ण कृषि आराजी का बहामी बटवारा कर अलग–अलग भाग जीवन यापन के लिये बहामी (मौखिक) पारिवारिक बटवारा किया हुआ है और उक्त बहामी बटवारे के अनुसार ही वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिससे होने वाली आय से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने–अपने परिवारो का पालन पोषण पृथक–पृथक रहकर करते चले आ रहे है। उक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण मीना जनजाति समुदाय के व्यक्ति है जिन पर हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम लागु नहीं होता है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पूर्व का ओल्ड हिन्दु लॉ तथा कोटा सर्कुलर एवं जनजाति समुदाय कि प्रथाए लागु होती है तथा बेटीया ससुराल जाने के बाद पिता कि सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकती मात्र उपयोग उपभोग पिता के पास रहने तक कर सकती है इसलिए उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 2, 3, का कोई हिस्सा नहीं बनता है। क्योंकि उनकी शादी भी हो चुकी है और अपने ससुराल रहती है और खाते से उनका नाम काबिले खारीज योग्य है और सम्पुर्ण आराजी को शुरू से प्रतिवादी क्रम एवं उसके पुत्रों वादीगण कम 1 ता 3 के कब्जे काश्त में रहीं है इसलिए विभाजन में उनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। वाद कारण दिनांक को जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी कम 1 ने वादीगणों के घर आकर उक्त आराजी पर कृषि कार्य करके वादीगणों को भरण पोषण करने से मना किया तथा गांव के मोतबीर व्यक्तियों को समझाईश के लिए बुलाया तब भी प्रतिवादी कम ने किसी कि भी बात माननें के लिए तैयार नहीं हुये। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अर्ज है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा डिकी एवं निर्णय पारीत किया जावे कि प्रतिवादीगणों के खाते एवं हिस्से कि वाद में वर्णित आराजी जमाबंन्दी ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तहसील पीपल्दा में जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार ख0न0 430 रकबा 0.08 है०, ख0न0 514 रकबा 2.52 है०, कुल किता 2 का रकबा 2.60 है० स्थित है जिसमें से प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 को 1/4, 1/4 हिस्सा कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के बराबर–बराबर हिस्सा रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे और प्रतिवादी कम 2 का खाते से नाम खारिज किया जावे और प्रतिवादी कम 2 व 3

के नाम कोई आराजी दर्ज नहीं कि जावें तथा प्रतिवादी 1 लगायत 2 व 3 किसी भी प्रकार कि मदाखलत एवं मजाहमत नंही करे वादीगणों को शान्ति पुर्वक काश्त करने दे तथा रेकार्ड कि यथा स्थिति बनायें रखें इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे वह भी वादीगणों को प्रदान कि जायें।

वादी की ओर से वाद श्री सत्यनारायण मीणा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर लेखराज प्रजापति ने वकालतनामा पेश किया। इकवाली जवाब पेश किया। वादीगण व प्रतिवादीण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो अग्रलिखित है। पक्षकार बिना किसी दाब दबाव के राजीनामा कर रहे है और वाद के किसी भी तथ्य पर विवाद नही है सभी तथ्य व मदे स्वीकार है इसलिए कोई तथ्य व मद में किसी भी बात को कानुनन साबित करने कि आवश्यकता नहीं है किसी भी शंका के समाधान के लिए पंचायत मुख्यालय पर किसी भी व्यक्ति व मोतबीर नागरीक से पुछताछ कर/मौखिक साक्ष्य दर्ज कर शंका का समाधान कर न्याय प्रदान करने का प्रयास करे। अतः शिवर प्रभारी शहनावदा के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अर्ज है कि वादीगणों प्रतिवादीगणो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद कि प्रार्थनानुसार निम्न आशय कि डिकी पारित कि जावे प्रतिवादी कम 1 के खाते एवं हिस्से से जो वाद में वर्णित आराजी खातेदारी मे ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा मे जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खैवट खतौनी संख्या नई 237 पुरानी 235 ख0न0 430 रकबा 0.08 है०, ख०न० 514 रकबा 2.52 है०, कुल किता 2 का रकबा 2.60 है0 में से वादींगण एवं प्रतिवादी कम 1 का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा वादी तथा प्रतिवादी को अपने–अपने हिस्से 1/4, 1/4 भाग को पृथक–पृथक रूप से खातेदारी में दी जावें तथा डिक्री एवं निर्णय प्रदान किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को प्रदान कि जायें।

राजीनामा तस्दीक किया गया। मुताबिक राजीनामा अनुसार ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा मे जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खैवट खतौनी संख्या नई 237 पुरानी 235 ख0न0 430 रकबा 0.08 है०, ख०न० 514 रकबा 2.52 है०, कुल किता 2 का रकबा 2.60 है0 में पुरूषोत्तम पुत्र सुरजमल हि0 1/4, राजेन्द्र पुत्र सुरजमल हि0 1/4, नवलकिशोर पुत्र सुरजमल हि0 1/4, सुरजमल पुत्र जीवनलाल हि0 1/4 का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
68/2019	06/11/2019	21.12.2025

1. पुरुषोत्तम पुत्र सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. राजेन्द्र पुत्र सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. नवलकिशोर पुत्र सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

बनाम — वादीगण

1. सुरजमल पुत्र श्री जीवनलाल जाति मीना निवासी रोण तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. गायत्री पुत्री सुरजमल जाति मीना निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मुकाम निमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
3. सावित्री पुत्री सुरजमल उम्र जाति मीना निवासी रोण तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. हाल मालबम्बोरी तहसील मॉगरोल जिला बारां राज.
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारायण मीणा एड0।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री लेखराज प्रजापति एड0।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री सत्यनारायण मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा मे जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार खैवट खतौनी संख्या नई 237 पुरानी 235 ख0न0 430 रकबा 0.08 है०, ख०न० 514 रकबा 2.52 है०, कुल किता 2 का रकबा 2.60 है0 में पुरूषोत्तम पुत्र सुरजमल हि0 1/4, राजेन्द्र पुत्र सुरजमल हि0 1/4, नवलकिशोर पुत्र सुरजमल हि0 1/4, सुरजमल पुत्र जीवनलाल हि0 1/4 का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 21.12.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0		
मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा